कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक–2349/ FP/UK/~~ROAD~~ Other/18161/2016 (दे0दून) :देहरादून:दिनांक: 27 फरवरी, 2019.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र) 25–सुभाष रोड, देहरादून।

विषयः– जनपद–देहरादून के अन्तर्गत ऋषिकेश कक्ष सं0–03 में परिवहन विभाग की ऑटोमेटेड टेस्टिंग लेन की स्थापना हेतु 1.22 हे0 (पूर्व में प्रस्तावित 2.02 हे0 के बदले) वन भूमि का परिवहन विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या 8बी/यू.सी.पी./09/82/2016/एफ.सी./1441 दिनांक 18–11–2016.
(ऑन लाईन पत्रावली संख्या– FP/UK/Other/18161/2016)

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयॉकित वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरण पर कतिपय सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है। प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून के पत्रांक 2429/12–1 दिनांक 14–02–2018 **(संलग्नक–1)** द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई भारत सरकार द्वारा वांछित आख्या निम्नवत् प्रेषित की जा रही हैः–

2– **बिन्दु संख्या–1 व 2** के सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई में जाकर एन0आई0सी0 के माध्यम से संशोधित वांछित सूचना ऑन–लाईन अपलोड करा दी गई है।

3. **बिन्दु संख्या–3** के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की संशोधित स्कीम **(संलग्नक–2)** एवं स्थल उपयुक्तता का प्रमाण–पत्र **(संलग्नक–3)** मूल में संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

4. **बिन्दु संख्या–4** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग की देखरेख में strip plantation किये जाने की वचनबद्धता का प्रमाण–पत्र संलग्न है। । **(संलग्नक–4)**

5. **बिन्दु संख्या–5** के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वन विभाग तथा प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा संशोधित 1.22 हे0 क्षेत्र में स्थित वृक्षों का संयुक्त निरीक्षण किया गया है तथा प्रस्तावित क्षेत्र में प्रभावित होने वाले कुल वृक्षों की संख्या 257 है, जिनकी Enumeration List संलग्न है। **(संलग्नक–5)** इसके अतिरिक्त प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु प्रत्यावर्तित की जानी वाली 1.22 हे0 वन भूमि के ईको क्लास एवं घनत्व के अनुसार निर्धारित एन0पी0वी0 की दर ₹ 9,39,000.00 प्रति हे0 से धनराशि ₹ 11,45,580.00 (₹ इग्यारह लाख पैतालिस हजार पाँच सौ अस्सी) पूर्व में ही चालान के माध्यम से कैम्पा कोष में जमा करा दी गयी है। चालान की प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–6)**

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई अनुपालन आख्या की प्रति मय संलग्नक प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि विषयाँकित प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने पर विचार करना चाहें।

संलग्नः–यथोपरि

भवदीय,

(अनूप मलिक)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या :–2349 / FP/UK/Other/18161/2016 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, जनपद–देहरादून।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, चकराता।
3. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), बाईपास रोड, बीबीवाला, ऋषिकेश।

(अनूप मलिक)